सत्यमेव जयते

हिंदी दिवस 2017 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का संदेश

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सब को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं !

"भाषा" मानव, समाज और देश के संगठन की अंत:शक्ति है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए भाषा-शक्ति आधार का काम करती है। किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में उस देश की भाषा का अहम योगदान होता है। भाषा सिर्फ मनोभावों की वाहिका ही नहीं होती अपितु राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन होने के साथ ही सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। किसी सुदृढ़ राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसकी अपनी भाषा कितनी व्यापक एवं समृद्ध है।

हमारे देश की सभी बोलियाँ और भाषाएँ हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं। अपनी भाषायी धरोहर की सजग होकर रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है।

"हिंदी" को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। "हिंदी-भाषा" में भारत के वे विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य विद्यमान हैं जिनकी वजह से हम पूरे विश्व में अतुलनीय हैं। भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसने विविधता में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता और सरकार के मध्य जन-जन की भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक भूमिका निभा सकती है। हिंदी, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत की भावात्मक एकता को मज़बूत करने का भी सशक्त ज़रिया है। अपनी उदारता, व्यापकता एवं ग्रहणशीलता के कारण ही हिंदी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरक है। अत: संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ सरकार को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि हिंदी भारतीय-संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

अपनी भाषा में मौलिक लेखन से अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और स्वाभाविक होती है, जो अनुवाद की भाषा से कदापि संभव नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हिंदी को इसके सरलतम रूप में अपनाकर राजकीय कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाए। मैं, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों इत्यादि के कार्यालय प्रमुखों से अपील करता हूँ कि वे अपने दैनिक और सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करें ताकि कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिल सके।

हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान ही हिंदी में कार्य करने का मुख्य आधार है। इसलिए अपने सभी कार्मिकों को हिंदी-ज्ञान में वृद्धि करने के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों द्वारा अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हिंदी माध्यम में ही सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यालयों आदि द्वारा नियमित रूप से अभ्यास आधारित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्यावहारिक कार्य-योजना बनाकर अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का सार्थक प्रयास करने की महती आवश्यकता है।

देशवासियो ! पिछले वर्षों से "कम्प्यूटर" और "इन्टरनेट" ने विश्व में सूचना क्रांति ला दी है। आज कोई भी भाषा कम्प्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रह कर लोगों से जुड़ी नहीं रह सकती। विगत कुछ समय से अनेक हिंदी ई-टूल्स विकसित किए गए हैं, जिससे कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अत्यन्त सरल हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में हमें विभिन्न हिंदी ई-टूल्स जैसे यूनिकोड, हिंदी की-बोर्ड, लीला सॉफ्टवेयर, मशीन अनुवाद, ई-महाशब्दकोश आदि का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

यह बात सही है कि संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है, परंतु संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व बनता है कि हम स्वयं अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। राजभाषा की कार्यशालाओं/बैठकों में शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति अवश्य ही होनी चाहिए तथा राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित आँकड़े प्रस्तुत करते समय तथ्यपरकता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन तथा उत्तरोत्तर विकास के लिए राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन भी उसी दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

आइए, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम एक साथ मिलकर मन, वचन और कर्म से हिंदी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय एवं सृजनात्मक सहयोग देंगे और हिंदी को उसके सम्मानजनक स्थान पर पहुँचा कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे । हम सब, न सिर्फ़ इसे अपना संवैधानिक दायित्व मान कर बल्कि नैतिक दायित्व समझ कर सरकारी काम-काज के साथ ही साथ अपने निजी जीवन में भी हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग पूरे मनोयोग से करें।

मेरे प्रिय देशवासियो ! हमें हिंदी का प्रचार-प्रसार केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रखकर भारत के जन-जन तक ले जाना होगा। साथ ही, न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रकाश फैलाने का संकल्प लेना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से हमें वांछित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सब को पुन: मेरी हार्दिक शुभकामनाएं !

जय हिंद !

(राजनाथ सिंह)

नई दिल्ली,
14 सितंबर, **2017**